न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2023(रसद) (GCMS 2023/96)	21.03.223	04.07.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश आचार्य निवासी भादसौडा (मोबाईल नंबर 8387911516) (बाडा, होटल का संचालक)
2. तुलसीराम पटेल निवासी रखियावल मावली उदयपुर (मोबाईल नंबर 9610818740)
3. भैरूसिंह सिसोदिया निवासी रठाणा मावली उदयपुर (मोबाईल 9772108143)

विपक्षीगण

उपस्थिति :–		
	प्रवर्तन अधिकारी	पैरोकार सरकार
	एक तरफा	अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2,3
	केजी गदिया	अधिवक्ता प्रार्थी (प्र0सं0 043/2023)

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.03.2023 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ बहमराह आवेदक सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी, हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी एवं पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण पर होटल पटेल की ढाणी के पास भादसौडा चौराहा पर पहुंचे। मौके पर इंडियन ऑयल कम्पनी का एक टेंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** खडा मिला जिसके वाहन चालक तुलसीराम पटेल निवासी रखिावल तहसील मावली एवं सहायक भैरूसिंह सिसोदिया निवासी रठाणा तहसील मावली द्वारा प्लास्टिक के ड्रम में टेंकर से पेट्रोलियम पदार्थ निकालना पाया गया वाहन चालक से इनर्वाईस बिल्टी की मांग पर दस्तावेज प्रस्तुत कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बताया गया कि टेंकर चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से भरकर उदयपुर जा रहा है मौके पर उपस्थित कमलेश आचार्य निवासी भादसौडा उपस्थित मिले जिसके द्वारा किराये पर ली गई होटल परिसर एवं रतन बंजारा की निजी भूमि पर पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण करना पाया गया। उक्त परिसर की जांच पर प्लास्टिक एवं लोहे के ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया। कमलेश आचार्य से पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण कमिशन पर बिक्री हेतु किया जा रहा है। कमलेश आचार्य द्वारा संचालित अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की कुल मात्रा 590 लीटर है एवं प्लास्टिक के भरे 06 ड्रमों में कुल 855 लीटर पाई गई। होटल परिसर के पीछे पाई गई प्लास्टिक केनो में कुल 75 लीटर पाई गई। परिसर में दो मोटर क्रॉम्टन 1 एचपी एवं शार्प अल्ट्रा पावर 0.5 एचपी की लोहे के मापक जार 05, 10 एवं 20 लीटर एवं प्लास्टिक के पाईप आदि निरीक्षण वक्त पाये गये जो कब्जे में लिये गये। वक्त निरीक्षण मौके पर टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** से प्लास्टिक की केनों का गेज से मापन करने पर कुल 1670 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गयाा। मौके पर चालक तुलसीराम पटेल एवं सहायक भैरूसिंह सिसोदिया द्वारा टैंक लोरी वाल्व से पेट्रोलियम पदार्थ निकाल कर 150 लीटर के केन में भरा जा रहा था। मौके पर टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** का निरीक्षण ड्राईवर एवं सहायक के साथ करने पर टैंकर का डाईनेमिक लोक खुला हुआ पाया गया। चालके के साथ टैंकर का टैंक में लगे हुए गेज से मापन किया गया तो 04 केएल के 03 भाग कुल 12 केएल क्षमतावाले टैंक लारी में 11850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जो 12 केएल से 150 लीटर कम पाया गया। टैंकर के साथ पाये गये इनवोईस नबर **20231324 B 62664** अनुसार दिनांक 17.03.2023 समय 12.11 पीएम चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से 1324 जालमपुरा से भरकर राधेकृष्णा के एस के ग्राम कानपुर तहसील गिर्वा उदयपुर खाली किया जाना था। इनवोईस अनुसार टैंक लोरी में कुल क्षमता 12 केएल होना अंकित है तथा इसमें 12 केएल पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन हेतु टर्मिनल से भरा हुआ अंकित है। परन्तु चालक एवं सहायक चालक द्वारा 150 लीटर अवैध रूप से टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला गया। टैंकर में भरे पेट्रोलियम पदार्थ एवं ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का मौके पर नमूने लिये गये नमूना नंबर ए–1 एवं बी–1 एफएसएल जांच हेतु भादसौडा थाने की सुपुर्दगी में दिये गये एवं नमूना नंबर ए–2, ए–3, बी–2 व बी–3 जिला रसद कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गये। मौके से कब्जे में लिया गया टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** मय 11850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 03 लोहे के ड्रम मय 590 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 06 प्लास्टिक केन मय 150 लीटर (कुल **11850+590+855+75+150=13520)** दो मोटर क्रॉम्टन 01 एचपी एवं शार्प अल्ट्रा पावर 0.5 एचपी की, लोहे के मापक जार 05, 10 एवं 20 लीटर एवं प्लास्टिक के पाईप आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुलिस थाना भादसौडा को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार होटल पटेल की ढाणी के पास भादसौडा चौराहा पर तुलसी पटेल चालक टैंक लोरी नंबर **RJ 27 GB 8257** एवं सहायक भैरूसिंह सिसोदिया द्वारा टैंक लोरी में से 150 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध निकासी कर कालाबाजारी करना एवं कमलेश आचार्य द्वारा खरीद कर भण्डारण करना पेट्रोलियम पदार्थ एम एस एवं एच एस डी आदेश 2005 का उल्लंघन होना प्रतीत होता है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। दोषियों के विरूद्ध थाना भादसौडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0031 दिनांक 17.03.2023 को दर्ज करवाई गइ है। अंत में प्रार्थना की गई थ्क जब्तशुदा मौके से कब्जे में लिया गया टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** मय 11850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 03 लोहे के ड्रम मय 590 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 06 प्लास्टिक केन मय 150 लीटर **(कुल 11850+590+855+75+150=13520)** दो मोटर क्रॉम्टन 01 एचपी एवं शार्प अल्ट्रा पावर 0.5 एचपी की, लोहे के मापक जार 05, 10 एवं 20 लीटर एवं प्लास्टिक के पाईप आदि पेट्रोलियम पदार्थ एवं टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** को राजसात करने का श्रम करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 12.04.2023 को विपक्षी संख्या 1,2 एवं 3 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 21.03.2023 को प्रार्थी विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) जरिये प्रोपराईटर हेमन्त डांगी पिता रतन लाल डांगी आयु वयस्क निवासी घास तहसील मावली जिला उदयपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम सहपठित धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 043/2023 दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) जरिये प्रोपराईटर हेमन्त डांगी पिता रतन लाल डांगी आयु वयस्क निवासी घास तहसील मावली जिला उदयपुर ने निवेदन किया गया कि प्राथी मालिक विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) जरिये प्रोपराईटर हेमन्त डांगी पिता रतन लाल डांगी आयु वयस्क निवासी घास तहसील मावली जिला उदयपुर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा कार्यवाही दिनांक 17.03.2023 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 27 GB 8257** का मालिक स्वयं हेमंत डांगी है। प्रार्थी का पेट्रोल पम्प कम्पनी इण्डियन ऑयल का है जो घासा तहसील मावली जिला उदयपुर में स्थित है। उक्त पेट्रोल पम्प का नाम विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) के नाम से उक्त वाहन है जो इण्डियन ऑयल से अनुबंधित किया हुआ है एवं प्रार्थी स्वयं के पेट्रोल पम्प एवं राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के लिये अनुबंधित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। टैंकर दिनांक 17.03.2023 को इण्डियन ऑयल डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर पम्प राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर जा रहा था। जिसका ईनवॉईस नंबर **20231324 B 62664** संलग्न है। उक्त दौरान चालक/सह चालक द्वारा रास्ते में भादसौडा हाईवे पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला गया। उक्त अवैध निकासी चालक तुलसीराम पटेल (डांगी) एवं सहचालक भैरूसिंह सिसोदिया द्वारा की गई एवं इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। चूंकि टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** कम्पनी इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर वैध रूप से राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा उदयपुर पम्प पर जा रहा था। इसमें कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। परिवहन वैध होने से एवं आवश्यक दस्तावेज होने से टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** मय पेट्रोलियम पदार्थ के रिलीज करने का श्रम करें। प्रकरण में कोई आवश्यकतानुसार हो तो आपके आदेशानुसार प्रार्थी उपस्थित हो जाउंगा। एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के वाहन टैंकर जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 27 GB 8257** मय माल (पेट्रोलियम पदार्थ) को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौज0 पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रसद/विधि/2023/270 दिनांक 12.04.2023 एवं थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा से पत्रांक/निल दिनांक 11.04.2023 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 043/2023 (रि.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस थाना भादसौडा का अनुसंधान पूर्ण हो चुका हो तो टैंकर एवं पेट्रोलियम पदार्थ नियमानुसार दिया जा सकता है। इसके साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना भादसौडा द्वारा अवगत कराया गया कि जब्तशुदा वाहन मय माल के अनुसंधान किया जा चुका है एवं उक्त वाहन मय माल को वाहन व माल के अधिकृत/पंजीकृत स्वामी विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) जरिये प्रोपराईटर हेमंत डांगी पिता रतन लाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली जिला उदयपुर को सिपुर्द कर दिया जावे तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है।

हस्तगत दोनो प्रकरणों के पुलिस थाना भादसौडा द्वारा दिनांक 17.03.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 031/2023 में जब्तशुदा माल के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दोनो में एक साथ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 043/2023 (रै.वि.)) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी का पेट्रोल पम्प कम्पनी इण्डियन ऑयल का है जो घासा तहसील मावली जिला उदयपुर में स्थित हैं। उक्त पेट्रोल पम्प इण्डियन ऑयल से अनुबंधित किया हुआ हैं एवं प्रार्थी स्वयं के पेट्रोल पम्प एवं राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के लिये अनुबंधित हैं। टैंकर दिनांक 17.03.2023 को इण्डियन ऑयल डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर पम्प राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर जा रहा था। जिसका ईनवॉईस नंबर **20231324 B 62664** संलग्न हैं। उक्त दौरान चालक/सह चालक द्वारा रास्ते में भादसौडा हाईवे पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला गया। उक्त अवैध निकासी चालक एवं सहचालक द्वारा की गई एवं इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। चूंकि टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** कम्पनी इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर वैध रूप से राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा उदयपुर पम्प पर जा रहा था। इसमें कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। परिवहन वैध होने से एवं आवश्यक दस्तावेज होने से टैंकर नंबर **RJ 27 GB 8257** मय पेट्रोलियम पदार्थ के रिलीज करने का कृपा करावें। प्रकरण में कोई जब्तशुदा वाहन टैंकर जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 27 GB 8257** मय माल (पेट्रोलियम पदार्थ) को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि उक्त जब्तशुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हैं, जबकि प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 043/2023 (रै.वि.)) द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि प्रकरण में दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.03.2023 को जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर **RJ 27 GB 8257** कम्पनी इण्डियन ऑयल कॉपोरेरशन डिपो जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से भरकर वैध रूप से राधे कृष्णा (केएसके) गांव कानपुर तहसील गिर्वा उदयपुर पम्प पर जा रहा था। इसमें प्रार्थी वाहन मालिक द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया। इसके साथ ही इस प्रकरण के विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के न्यायालय द्वारा सूचित किये जाने बाजवूद उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है जिससे विपक्षीगणों का व्यतव्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर **RJ 27 GB 8257** मय 11850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के प्रार्थी विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) जरिये प्रोपराईटर हेमन्त डांगी पिता रतन लाल डांगी आयु वयस्क निवासी घास तहसील मावली जिला उदयपुर को सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रकरण विपक्षी संख्या 1, 2, 3 द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना जाहिर होता, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2, 3 द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा शेष पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 03 लोहे के ड्रम मय 590 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 06 प्लास्टिक केन मय 150 लीटर **(कुल 590+855+75+150= 1670 लीटर)** दो मोटर क्रॉम्टन 01 एचपी एवं शार्प अल्ट्रा पावर 0.5 एचपी की, लोहे के मापक जार 05, 10 एवं 20 लीटर एवं प्लास्टिक के पाईप आदि राजसात किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना भादसौडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 031/2023 दिनांक 17.03.2023 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थाना भादसौडा में दिनांक 17.03.2023 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 031/2023 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 27 GB 8257** मय 11850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के प्रार्थी विश्वास पेट्रोलियम (केएसके) जरिये प्रोपराईटर हेमन्त डांगी पिता रतन लाल डांगी आयु वयस्क निवासी घास तहसील मावली जिला उदयपुर को वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 27 GB 8257** हेतु रूपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं 11850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ हेतु रूपये **12,00,000/-** अक्षरे बारह लाख रूपये की जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण में जब्तशुदा शेष पेट्रोलियम पदार्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं अन्य सामग्री 03 लोहे के ड्रम मय 590 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 06 प्लास्टिक केन मय 150 लीटर **(कुल 590+855+75+150= 1670 लीटर)** दो मोटर क्रॉम्प्टन 01 एचपी एवं शार्प अल्ट्रा पावर 0.5 एचपी की, लोहे के मापक जार 05, 10 एवं 20 लीटर एवं प्लास्टिक के पाईप आदि को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी, पुलिस थाना भादसौडा से जब्तशुदा शेष पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 03 लोहे के ड्रम मय 590 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 06 प्लास्टिक केन मय 150 लीटर **(कुल 590+855+75+150= 1670 लीटर)** दो मोटर क्रॉम्प्टन 01 एचपी एवं शार्प अल्ट्रा पावर 0.5 एचपी की, लोहे के मापक जार 05, 10 एवं 20 लीटर एवं प्लास्टिक के पाईप आदि प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 043/2023 (रे.वि.) उनवानी विश्वास बनाम सरकार वगैराह में रखी जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>04.07.2023</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official